छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

दि हितवाद परिसर, अवंति विहार, मुख्यालय – रायपुर

विषय : <u>बाह्य एजेंसी से गुणवत्ता परीक्षण के लिये मानव संसाधन उपलब्ध कराने संबंधी विज्ञापन में स्पष्टीकरण बाबत।</u>

शासन के वेबसाईट WWW.cgstate.gov.in में अन्य शर्तें प्रकाशन पश्चात विज्ञापन में रूचि रखने वाले एजेंसी द्वारा विज्ञापन संबंधी इन्क्वारी कार्यालय में की जा रही है, जिसमें निम्नानुसार स्पष्टीकरण किया जा रहा है।

आमंत्रित निविदा दो लिफाफा पद्यति से मंगाया जा रहा है, जिसमें प्रथम लिफाफा टेक्निकल बीड का तथा दूसरा लिफाफा प्राईज बीड का रहेगा। टेक्निकल बीड में निविदाकार द्वारा समस्त संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज नियमानुकूल शर्तों के अनुसार होने पर ही निविदाकार के प्राईज बीड खोली जायेगी। ऐसे निविदाकार जिनकी टेक्नीकल बीड क्वालिफाईड नहीं हुई है, के निविदाकार की प्राईज बीड नहीं खोली जायेगी। सफल निविदाकारों का तुलनात्मक दर का अध्ययन कर निविदा सिमति के परीक्षण पश्चात निविदा स्वीकृति की प्रकिया आगे बढ़ायी जायेगी।

टेक्निकल बीड एवं प्राईज बीड पृथक–पृथक लिफाफे में डाला जाये तथा लिफाफे के उपर स्पष्टतः "टेक्निकल बीड" एवं "प्राईज बीड" लिख कर निविदा दिनांक को निर्धारित समय पर निविदा बाक्स में डाली जायेगी।

टेक्निकल बीड वाले लिफाफे में प्रोपराईटरशीप/फर्म/कंपनी के लेटरपैड पर स्व–प्रमाणित कर निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न किया जाना अनिवार्य है :–

I.	अमानत राशि के रूप में निविदाकार से राशि रूपये पच्चीस हजार, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में डी.डी. अथवा निगम के खाता क. 00000010822706427, IFSC Code-SBIN 0007237, न्यू शांति नगर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में RTGS/Transfer के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा तथा इस संबंध का प्रमाण संलग्न करना होगा।
II.	प्रोपराईटरशीप/फर्म/कंपनी पैन नंबर।
III.	प्रोपराईटरशीप/फर्म/कंपनी टैन नंबर।
IV.	प्रोपराईटरशीप/फर्म/कंपनी सर्विस टैक्स पंजीयन कमांक।
V.	प्रोपराईटरशीप/फर्म/कंपनी विगत एक वर्ष का टर्नओवर कम से कम पच्चीस लाख का हो (मानव संसाधन सेवा प्रदाय करने के संबंध में)
VI.	प्रोपराईटरशीप/फर्म/कंपनी का इन्कम टैक्स रिटर्न विगत दो वर्षों का।
VII.	प्रोपराईटरशीप/फर्म/कंपनी का भविष्य निधि संगठन का जीवित पंजीयन।
VIII.	प्रोपराईटरशीप/फर्म/कंपनी का ESIC का जीवित पंजीयन
IX.	प्रोपराईटरशीप/फर्म/कंपनी का लेबर लाईसेंस का जीवित पंजीयन।
X.	प्रोपराईटरशीप/फर्म/कंपनी निविदाकार का व्यवसाय करने संबंधी का पंजीयन।

नोट –

1. कंपनी/भागीदारी फर्म होने की दशा में कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एण्ड एसोसिएशन की प्रति तथा भागीदारी फर्म हेतु भागीदारी अभिलेख की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदाकार की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा निविदा प्रस्तुत की जाती है तो इस संबंध में पावर ऑफ एटर्नी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. लिफाफा सीलबंद करने से पूर्व उपरोक्त चेकलिस्ट की जांच कर लें।

दूसरा लिफाफा फाईनेंशियल बीड का होगा, जिसमें निविदाकार द्वारा फर्म के लेटरपैड पर अपनी दरें अंकों में एवं शब्दों में प्रति व्यक्ति के लिए भरी जाए। अन्य तरीके से भरी गई दरों पर निविदा समिति विचार नहीं करेगी। निविदाकार द्वारा, शासन द्वारा संविदा गुणवत्ता परीक्षकों के लिये मान्य समेकित न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य होगा, जिसका वर्तमान दर रू. 10612/– प्रतिमाह है। निविदाकार द्वारा इस दर को ध्यान में रख कर ही निविदा भरी जाये।

निविदा दिनांक 30.09.2016 को सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।

शेष शर्तें पूर्वानुसार यथावत रहेंगी।

वास्ते
प्रबंध संचालक